Witness ....PW. 1........... for................अभियोजन साक्षी...................................Deposition taken

the............24th ....day of...........जुलाई 2018 ....Witness's apparent age... 49

Sates on affirmation .... My name is. महावीर कोचर

Son of .... श्री इंद्रचंद्र कोचर ....occupation........... जेवलरी का दुकान

address.............शैलेन्द्र नगर रायपुर, जिला–रायपुर छ0ग0।

---

1. मैं आज दिनांक को न्यायालय में उपस्थित आरोपी को नहीं पहचान पा रहा हूं, क्योंकि घटना बहुत पुरानी है। घटना दिनांक को मैं अपने वीरगांव स्थित दुकान से बैरनबाजार अपने घर स्कूटर से आ रहा था, रास्ते में मेरे घर के पास लगभग 100 मीटर की दूरी में 3 आरोपी मोटर सायकल में मेरा पीछा करते हुये आ रहे थे और मुझे स्कूटर से गिरा दिये। उसमें से एक आरोपी ने मुझे चाकू से मेरे पेट में मारा जिससे मेरे पेट में खरोच आ गया मैं गिर गया, फिर आरोपीगण मेरे स्कूटर के डिक्की से बैग निकालकर फरार हो गये। बैग में चांदी और सोने के जेवर तथा कुछ नगद रकम कुल दो–ढाई लाख रूपये आरोपीगण लेकर भाग गये। मेरे द्वारा घटना की शिकायत थाना कोतवाली में की गयी थी। प्रथम सूचना प्रतिवेदन **प्र0पी–1** है जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मैंने पुलिस को घटना बताया था, घटना स्थल का नक्शा **प्र0पी–2** है जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मुझे सिनाख्ती हेतु थाने में बुलाया था। मेरे द्वारा थाने में अपने दुकान का समान जो मेरे बैग में थे। कुछ चांदी के जेवर की पहचान की थी, सिनाख्ती मेमो **प्र0पी–3** है, जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मुझे आरोपी की पहचान हेतु थाना पुरानी बस्ती बुलावाया था मेरे द्वारा आरोपी छोटू उर्फ शिवशंकर ठाकरे की पहचान उसके सिर में हाथ रखकर की गयी थी। पहचान पंचनामा **प्र0पी–4** है, जिसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं।

टीपः–इसी स्तर पर लोक अभियोजक श्रीमती विश्वदिनी पाण्डे लोक अभियोजक द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही, विचार बाद अनुमति दी गई।

02. यह कहना गलत है कि मैं न्यायालय उपस्थित आरोपी को पहचानता हूं वह घटना दिनांक को मेरे साथ हुई लूट की घटना में शामिल था। यह कहना गलत है कि मैं आरोपी को बचाने के लिये आज न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हूं।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री दिनेश मिश्रा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त, छोटू

03. यह कहना सही है कि पुलिस वालों ने मुझसे घटना के समय रखे समानों तथा नगदी रकम के संबंध में कोई दस्तावेज की मांग नहीं किये थे तथा दस्तावेज की जप्ती नहीं किये थे।

Witness ....PW. 1........... for................अभियोजन साक्षी....................................Deposition taken

साक्षी को पढकर सुनाया गया ।

सही होना स्वीकार किया ।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया ।

(अरविंद कुमार)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

(अरविंद कुमार)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

साक्षी का हस्ताक्षर.............................

प्रमाण पत्र

मै पुष्टि करता हूँ कि इस पी0डी0एफ0 फाईल की अंतरवस्तु अक्षरशः वैसी ही है जो मूल आदेश/निर्णय/कथन में टंकित की गई है।

साक्ष्य लेखक का नाम पुरूषोत्तम सिंह वालरे